राजभाषा एकक
(Official Language Unit)
भा.कृ.अनु.प.: राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
(मानित विश्वविद्यालय)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
I.C.A.R.-National Dairy Research Institute, Karnal
(Deemed University)
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)

****

भाकृअनुप-रा.डे.अनु.सं. करनाल का परिचय
(Introduction of ICAR-NDRI, Karnal)

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान राष्ट्र का एक अग्रणी एवं प्रतिष्ठित संगठन है जो कि देश में डेरी विकास कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहा है। यह संस्थान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा शासित है। वर्ष 1923 में बंगलौर में संस्थापित इस संस्थान के मुख्यालय को वर्ष 1955 में इसके मौजूदा स्थान करनाल में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो कि बंगलौर तथा कल्याणी में स्थित है। दक्षिण व पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र स्थानीय क्षेत्र में कृषि वातावरण के अनुरूप डेरी विकास के लिए अनुसंधान एवं सहयोग प्रदान करने में लगे हुए हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थान को मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अद्यतन वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार संस्थान में 157 वैज्ञानिक, 184 तकनीशियन, 127 प्रशासनिक एवं 402 निपुण सहायक स्टाफ (कुल 870) कार्यरत हैं।

संस्थान के गौरवमयी इतिहास एवं उपलब्धियों का उल्लेख
(Remarkable glorified history and achievements of NDRI)
अनुबंध के रूप में संलग्न है।

संस्थान का संगठनात्मक स्वरूप
(Organizational set-up of the institute)

संस्थान की प्रबंध प्रणाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानित विश्वविद्यालय की प्रशासनिक पद्धति के अनुरूप ही है। संस्थान के अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार शिक्षा तथा प्रशासनिक कार्यकलाप के क्षेत्र में नीति निर्धारण और निर्णय का दायित्व प्रबंध मंडल, अनुसंधान सलाहकार परिषद, विद्या परिषद समितियों को सौंपा गया है। संस्थान के निदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा प्रबंधन, अनुसंधान, शैक्षणिक एवं विस्तार कार्यकलापों के लिए संयुक्त निदेशक उनकी सहायता करते हैं। संस्थान के अनुसंधान और विकास के तीन मुख्य क्षेत्र ; डेरी उत्पादन ; डेरी प्रसंस्करण तथा ; डेरी विस्तार प्रबंधन हैं। सभी अनुसंधान एवं विस्तार कार्यक्रम संस्थान के मुख्यालय तथा इसके दो क्षेत्रीय केन्द्रों पर संस्थान के तेरह प्रभागों/अनुभागों-डेरी पशु प्रजनन, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, डेरी पशुपोषण, चारा अनुसंधान, डेरी पशु शरीर क्रिया विज्ञान, पशु जीव रसायन, पशु जैव प्रौद्योगिकी, डेरी प्रौद्योगिकी, डेरी अभियांत्रिकी, डेरी रसायन, डेरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, डेरी विस्तार तथा डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग के अन्तर्गत संपन्न होते हैं। संस्थान में एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र(एटिक), कृषि विज्ञान केन्द्र तथा डेरी प्रशिक्षण केन्द्र, कृत्रिम प्रजनन अनुसंधान केन्द्र, है। पीपराकोठी, पूर्वी चंपारन, मोतीहारी, बिहार पर कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्तर्गत कृषि तथा डेरी विकास केन्द्र तथा मुजफरनगर (उ.प्र.) में लालूखेड़ी में माडल डेरी केन्द्र, भी संस्थान के कार्यक्षेत्र में आते हैं। संस्थान में पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चारा अनुसंधान एवं प्रबंधन केन्द्र, पशु स्वास्थ्य परिसर, माडल डेरी संयंत्र, टैक्नोलोजी बिजनस इनक्यूबेटर, व्यवसाय नियोजन एवं विकास एकक, दुग्ध गुणवता एवं सुरक्षा के लिए नैशनल रैफरल प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक डेरी संयंत्र, परामर्श एकक, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय जैव सूचना केन्द्र, कंप्यूटर केंद्र, संपदा अनुभाग, राजभाषा एकक एवं अनुरक्षण अभियांत्रिकी अनुभाग जैसी केन्द्रीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशासनिक कार्यकलाप जैसे क्रय, भंडार, एवं सुरक्षा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कुलसचिव के नियंत्रण में है जबकि वित्त विभाग, वित्त नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व कार्यान्वयन की स्थिति
(The position of promoting, spreading and implementing the Official Language in the institute)

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु संस्थान में वर्ष 1979 में राजभाषा एकक की स्थापना की गई। संस्थान में राजभाषा नीति, नियमों एवं व्यवस्थाओं के नियमानुसार अनुपालन एवं कार्यान्वयन के लिए संस्थान के राजभाषा एकक में वर्ष 1988, 1989 एवं 2011 में क्रमशः 01 हिन्दी अनुवादक, 01 सहायक निदेशक एवं 01 उप निदेशक के पद सृजित किए गए। संस्थान में ''संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' का गठन किया गया है, जिसकी प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन भी किया जाता है। संस्थान

के कार्यालय आदेश सं. अनुदेश-राजभाषा एकक/2018/ एनडीआरआई दि.28.3.2018 के तहत संस्थान के निदेशक महोदय की अध्यक्षता में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नप्रकार से किया गया है-

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

क्र. सं.	पदाधिकारी	समिति में क्षमता
1-	निदेशक, भाकृअनुप, राडेअनुसं, करनाल (उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक निदेशक)	अध्यक्ष
2-	संयुक्त निदेशक(शैक्षणिक), संयुक्त निदेशक(अनुसंधान)/प्रभारी पीएमई सेल, संयुक्त निदेशक(प्रशासन व कुलसचिव), नियंत्रक	सदस्य
3-	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक (प्रशासन व कुलसचिव) या कार्यवाहक मु.प्रशा.अधि.)	संयोजक
4-	उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)	सदस्य सचिव
5-	संस्थान के सभी प्रभागों के अध्यक्ष/अनुभागों के प्रभारी (डेरी प्रौद्योगिकी/डेरी पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन प्रभाग/डेरी रसायन प्रभाग/डेरी पशु शरीर क्रिया विज्ञान प्रभाग/डेरी पषु पोषण प्रभाग/डेरी इंजीनियरी प्रभाग/डेरी सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग/डेरी जीव रसायन प्रभाग/डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग/डेरी विस्तार प्रभाग/ए.बी.टी.सी./एल.पी.एम. (पशुधन प्रबंधन केन्द्र)/सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र(एटिक)/चारा प्रबन्धन/शैक्षिक व अनुसंधान केन्द्र(एफआरएमसी)/पशुधन अनुसंधान केन्द्र/पशु प्रजनन एवं अनसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/डी0टी0सी0/कंप्यूटर केन्द्र/पुस्तकालय सेवायें/संचार केन्द्र/सुरक्षा अनुभाग/प्रयोगात्मक डेरी/ अनुरक्षण अनुभाग/परीक्षा नियंत्रक/विश्वविद्यालय कार्यालय)	सदस्य
6-	सभी स्थापना अनुभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी(प्रेस एवं संपादन)/	सदस्य
7-	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
टिप्पणी: उपरोक्त पदाधिकारियों/प्रभारियों के अपरिहार्य कारणों से संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल न हो पाने की स्थिति में उनका कार्यभार देखने वाले पदाधिकारी/प्रभारी बैठक में भाग लेते हैं। सेवाओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी/प्रभाग/अनुभाग अपने प्रतिनिधि कर्मचारी को नामित कर सकते हैं, तथा इस संबंध में समिति के अध्यक्ष/राजभाषा एकक को ईमेल/पत्र के द्वारा सूचित करना अपेक्षित होता है।		
आमंत्रित सदस्यगण 1. निदेशक(राजभाषा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली। 2. क्षेत्रीय उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली 3. प्रभारी, राजभाषा एकक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल। 4. प्रभारी, राजभाषा एकक, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो, करनाल 5. प्रभारी, राजभाषा एकक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल। 6. प्रभारी, राजभाषा एकक, भारतीय कृशि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल। 7. प्रभारी, राजभाषा एकक, गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल। 8. प्रभारी, राजभाषा एकक, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, राडेअसं., बेंगलुरू, कर्नाटक। 9. प्रभारी, राजभाषा एकक, पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, राडेअसं., कल्याणी, पश्चिमी बंगाल। 10. महाप्रबन्धक, मॉडल डेरी संयंत्र, राडेअनुसं, करनाल, हरियाणा।		

संस्थान के द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु की जा रही पहल

The initiatives being taken by the NDRI for implementation of OL Hindi

1. जाँच बिन्दुओं का गठन एवं उनके द्वारा राजभाषा नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन

संस्थान के कार्यालय आदेश सं. अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दिनाँक 18.5.2017 के तहत संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों में घोषित जाँच बिन्दुओं पर राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए गए हैं तथा सभी प्रभागाध्यक्षों व अनुभागों के अधिकारियों द्वारा स्वयं उनके प्रभागों/अनुभागों में राजभाषा नीति एवं नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। संस्थान द्वारा राजभाषा नीति, नियमों व व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार जाँच बिन्दु बनाए गए हैं-

क्र.	विषय	जांच बिन्दु
1-	**धारा 3(3) के तहत सामान्य आदेश व दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना** राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित संस्थान में लागू दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किये जा रहे हैं।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/ प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी
2-	**मूल पत्राचारः** 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जने वाले मूल पत्र 100 प्रतिशत हिन्दी में भेजे जाएं।	-तदैव-
3	**रबड की मोहरों, नामपट्टों, साइन-बोर्ड, बैनरों, स्टेशनरी, फार्म आदि का द्विभाषी प्रयोग** सभी प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सभी रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन-बोर्ड, बैनर, स्टेशनरी, फार्म आदि हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में ही तैयार कराए जाएंगे। इनमें हिन्दी पंक्ति सदैव ऊपर रखी जाएगी। इन्हें तैयार कराने से पहले राजभाषा एकक से वैटिंग भी कराया जाना अपेक्षित है।	-तदैव-

4-	**<u>हिन्दी पत्रों का हिंदी में व 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना:</u>** हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में दिए जाने की जिम्मेदारी उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएंगे।	-तदैव-
5-	**<u>द्विभाषी प्रकाशन</u>** फार्मो, कोडों, मैनुअलों तथा राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचनाओं को द्विभाषिक रूप में तैयार करके मुद्रित कराया जाएगा।	-तदैव-
6-	**<u>सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की जिम्मेदारी</u>** सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की डेस्क को भी जांच बिन्दु बनाया जाता है। सभी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी उनके पास प्रस्तुत की जाने वाली डाक में अपनी अभ्युक्ति देने/हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कामकाज में राजभाषा नियमों का पालन हो रहा है। वे विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को भी सुनिश्चित करेंगे- क. हिंदी पत्रों का हिंदी में जवाब भेजा जा रहा है। ख. हिंदी की कार्यालय टिप्पणियों पर हिंदी में ही अभ्युक्ति/आदेश दिए जाते हैं। ग. हिंदी में प्राप्त हुए पत्रों डाक आदि पर केवल हिंदी में ही मार्किंग की जाती है। घ. जो पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में या द्विभाषी(हिन्दी व अंग्रेजी) में जारी होने हैं उन्हें नियमानुसार तैयार करके जारी करवायेंगे तथा यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। च. भारत सरकार, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में सभी मदों में उल्लेखित न्यूनतम मदों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठायेंगे।	-तदैव-
7-	**<u>सभी प्रकार के कंप्यूटरों की द्विभाशी समर्थित रूप में खरीद</u>** सभी प्रकार के कंप्यूटरों की खरीद के मामले में जांच बिन्दु यह होगा कि इन उपकरणों का इन्डेंट करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी को यह देखना होगा कि सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइप करने की सुविधा होनी चाहिए। यदि पूर्व में खरीदे गए कंप्यूटरों में हिंदी फोंट एवं युनिकोड में कार्य करने की सुविधा नहीं है तो उसे राजभाषा एकक से संपर्क करके अपडेट करा जाना तथा खरीदे गए कंप्यूटरों में हिंदी फोंट एवं युनिकोड सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लोड होना सुनिश्चित किया जाएगा।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/वरि.प्रशा.अधि.(क्रय) , प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र एवं कंप्यूटर खरीदने वाले सभी इंडेंटिंग अधिकारी/लिपिक
8-	**<u>लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना</u>** प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच बिन्दु के रूप में कार्य करेगा कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाएं।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/ प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी/प्राप्ति एवं प्रेषक लिपिक
9-	**<u>सेवा पुस्तिकाओं में इन्दराज</u>** सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविश्टियां केवल हिन्दी मे की जाएंगी। सेवा पुस्तिका के ऊपर कार्मिकों के नाम इस प्रकार द्विभाशी लिखे जाएगी कि हिंदी पंक्ति सदैव ऊपर रहे।	वरिष्ठ प्रशासनिक अधि./ प्रशा.अधि0/ सहा0 प्रशा.अधि.-स्था. 1, 2, 3 व 4

2. <u>राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत प्रभागों व अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना</u>

भाकृअनुप-राडेअनुसं., करनाल कार्यालय को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.13-5/95-रा.भा. दि. 10.3.1995 के तहत राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र(गजट) में अधिसूचित किया गया है। अतः राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने एवं संस्थान में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत संस्थान के निम्नलिखित 37 प्रभागों एवं अनुभागों को शासकीय प्रयोजनो के लिए अपना शत-प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है-

क्र.सं.	प्रभाग/अनुभाग का नाम	क्र. सं.	प्रभाग/अनुभाग का नाम
1.	स्थापना 1	20.	डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग
2.	स्थापना 2	21.	डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग
3.	स्थापना 3	22.	डेरी अभियांत्रिकी प्रभाग
4.	स्थापना 4	23.	डेरी रसायन प्रभाग
5.	स्थापना 5	24.	पशुधन अनुसंधान केन्द्र/पशु स्वास्थ्य परिसर
6.	नकदी-देयक अनुभाग (सभी)	25.	पशु आनुवांशिकी व प्रजनन प्रभाग
7.	ऑडिट अनुभाग	26.	शस्य विज्ञान अनुभाग/चारा अनुसंधान व प्रबन्धन केन्द्र
8.	परीक्षा नियन्त्रक	27.	कृषि विज्ञान केन्द्र/डेरी प्रशिक्षण केन्द्र
9.	विश्वविद्यालय कार्यालय	28.	पशु जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
10.	राजभाषा एकक	29.	प्रयोगात्मक डेरी प्रभाग
11.	पुस्तकालय	30.	पशु जीव रसायन प्रभाग
12.	एस आर सी/पीएमई प्रकोष्ठ	31.	पशु पोषण प्रभाग
13.	श्रम कल्याण अधिकारी	32.	कृत्रिम प्रजनन अनुसंधान केन्द्र
14.	वाहन अनुरक्षण अनुभाग	33.	पशु शरीरक्रिया प्रभाग
15.	अनुरक्षण अनुभाग	34.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र
16.	चारा उत्पादन अनुभाग	35.	सम्पदा अनुभाग
17.	पशुधन उत्पादन प्रबंधन अनुभाग	36.	केन्द्रीय भण्डार

18.	**डेरी सूक्ष्म जीवाणुविज्ञान प्रभाग**	**37.**	**संचार केन्द्र**
19.	**डेरी विस्तार प्रभाग**		

3. सभी संवर्ग के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण

यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ एवं निपुण सहायक कर्मचारियों को हिन्दी भाषा(प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ स्तर तक) का ज्ञान हो। नियुक्ति अथवा स्थानांतरण पर संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के मामले में यह छानबीन की जाती है कि उन्हें हिन्दी भाषा का ज्ञान है अथवा नहीं तथा अन्यथा पात्र पाए जाने पर उन्हें भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में संस्थान में पदस्थापित सभी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा(प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ स्तर) का ज्ञान प्राप्त है।

4. प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

संस्थान में तैनात मंत्रालयिक स्टाफ के अंतर्गत लिपिकीय व आशुलिपिकीय स्टाफ को यथावश्यक हिन्दी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। संस्थान में अंगे्रजी/टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग का रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा समय समय पर डेस्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

5. द्विभाषी फार्म एवं स्टेशनरी का प्रयोग

राजभाषा नियम 1976 के नियम-11 का अनुपालन करते हुये संस्थान द्वारा सभी प्रकार के मानक फार्मों एवं स्टेशनरी सामान आदि को द्विभाषी रूप में प्रयोग करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

संस्थान के कार्यालय आदेश सं. अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दि. 20.5.2017 के तहत संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों के अध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों को धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले समस्त दस्तावेज द्विभाषी जारी करने के आदेश जारी किये गए हैं। तदनुसार संस्थान द्वारा इस सांविधिक आवश्यकता का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

7. हिन्दी कार्यशाला का प्रत्येक तिमाही में आयोजन

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को सतत् बढ़ाने एवं कर्मचारियों की सरकारी काम-काज में राजभाषा के प्रयोग में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

8. संस्थान के हिन्दी प्रकाशन

संस्थान की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा'' एवं तिमाही न्यूज लैटर ''डेरी समाचार'' तथा न.रा.का.स. करनाल के अध्यक्षीय कार्यालय के रूप में समिति की वार्षिक गृह पत्रिका ''कर्णोदय'' को पूर्णतः हिन्दी में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

9. अनुवाद व वेटिंग संबंधी कार्य

संस्थान के वैज्ञानिकों से प्राप्त वैज्ञानिक एवं लोकप्रिय लेख, छात्रों के शोध सारांश, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, विभिन्न समारोहों की प्रेस विज्ञप्ति, गणमान्य अतिथियों, मंत्रियों आदि के संबोधन, व्याख्यान एवं अन्य सामग्री का अनुवाद कार्य संस्थान के राजभाषा एकक द्वारा किया जा रहा है।

10. प्रशासनिक शब्दावलियों का वितरण

राजभाषा एकक द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित ''बृहत प्रशासनिक शब्दावली'' की प्रतियाँ संस्थान के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई हैं।

11. राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ''क'' क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः संस्थान द्वारा भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम की निम्न मदों हेतु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं-

क्र.	विवरण	क क्षेत्र के कार्यालयों हेतु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार	1. क से क क्षेत्र को: 100 प्रतिशत, क से ख क्षेत्र को: 100 प्रतिशत, 3. क से ग क्षेत्र को : 65 प्रतिशत, 4. क व ख क्षेत्र में स्थित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों/व्यक्तियों को-क व ख क्षेत्र को : 100 प्रतिशत

क्र.	विवरण	''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया जाना	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
3	हिंदी में कार्यालय टिप्पणियां लिखना	75 प्रतिशत	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	70 प्रतिशत	60 प्रतिशत	30 प्रतिशत
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80 प्रतिशत	70 प्रतिशत	40 प्रतिशत
6	हिंदी में डिक्टेशन, कीबोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं व सहायक द्वारा)	65 प्रतिशत	55 प्रतिशत	30 प्रतिशत
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण एवं आशुलिपि)	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
9	जर्नल-मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर हिंदी पुस्तकादि की खरीद पर व्यय	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषिक खरीद	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
11	वेबसाइट (द्विभाषी)	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
13	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का का निरीक्षण (न्यूनतम)	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत
14	राजभाषा संबंधी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	वर्ष में 2 बैठकें, प्रति छमाही एक बैठक		
15	राजभाषा संबंधी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	वर्ष में 4 बैठकें, प्रति तिमाही एक बैठक		
16	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100 प्रतिशत		

12. हिन्दी शिक्षण संबंधी कार्य

गैर हिन्दी क्षेत्रों से अध्ययन हेतु आए एम.एससी./एम.टैक./पीएच.डी. के छात्र जिन्हें मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी शिक्षण का कार्य इस एकक के स्टाफ द्वारा दिया जाता है।

13. संस्थान के सभी हिन्दी प्रकाशनों का संस्थान की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्श

संस्थान के द्वारा हिन्दी में प्रकाशित किये जाने वाले विभिन्न हिन्दी प्रकाशन जैसे वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा'', अध्यक्षीय कार्यालय के रूप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक गृह पत्रिका ''कर्णोदय'', तिमाही न्यूज लैटर ''डेरी समाचार पत्र'' आदि को संस्थान की वेबसाइट www.ndri.res.in के अंतर्गत ''हिन्दी प्रकाशन'' शीर्ष में प्रकाशित किया जा रहा है।

14. प्रोत्साहन योजनाएं

संस्थान में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिकाधिक वैज्ञानिकों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

क	**कर्मचारियों के लिए ''वार्षिक मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना''** केन्द्र सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अनुदेशों के अनुसरण में संस्थान में प्रत्येक वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च की एक वर्ष की अवधि) में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मूल हिन्दी टिप्पण व मसौदा लेखन प्रतियोगिता के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 10 पुरस्कारों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या: दो/12013/01/2011-रा0भा0 (नीति/के0अनु0ब्यूरो) दि. 30.10.2012 एवं का0ज्ञा0 संख्या: 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दि. 14.9.2016 सहपठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली के परिपत्र सं.1(6)/2012.हिन्दी दिनाँक 6(11)/12/2012 एवं संख्या: रा.भा.3(1)/2013-हिन्दी दिनाँक 7.12.2016 के अनुपालन में संस्थान के ऐसे कर्मचारी जो सरकारी कामकाज में टिप्पण व मसौदा लेखन आदि मूल रूप से राजभाषा में निष्पादित कर रहे हैं, उन्हें रू. 29,000/- के 10 पुरस्कार (2 प्रथम पुरस्कार प्रत्येक रू.5,000/- के, 3 द्वितीय पुरस्कार प्रत्येक रू. 3,000/- के व 5 तृतीय पुरस्कार प्रत्येक रू. 2,000/- के) उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकार्ड पर मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रतिवर्ष प्रदान किये जा रहे हैं।
ख	**अधिकारियों के लिए ''वार्षिक हिंदी डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना''** केन्द्र सरकार/भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या: दो/20015/62/88-रा0भा0 क-2)दि. 27.9.1988, कार्यालय ज्ञापन संख्या दो/12013/1/89-रा0भा0(क-2) दिनाँक 6.3.1989, कार्यालय ज्ञापन संख्या: दो/12013/18 /93-रा0भा0(नी-2) दिनाँक 16.9.1998 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या: 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दि. 14.9.2016 सहपठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली के परिपत्र सं. रा.भा.3(1)/2013-हिन्दी दि. 07.12.2016 के अनुसरण में संस्थान में अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन हेतु प्रोत्साहन योजना'' संस्थान में प्रत्येक वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च की एक वर्ष की अवधि) में चलाई जा रही है। इस प्रतियोगिता में संस्थान के ऐसे दो अधिकारी (एक ''क या ख'' क्षेत्र का मूल निवासी एवं एक ''ग'' क्षेत्र का मूल निवासी हो) जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यत: हिंदी में डिक्टेशन देते हैं, को हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से उनके द्वारा हिन्दी में श्रुतलेख देने के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु गठित अधिकारियों की समिति की सिफारिश के आधार पर उन्हें रू. 5,000/-(रूपये पाँच हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जा रही है।
ग	**वैज्ञानिकों के लिए ''वार्षिकवैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन प्रोत्साहन योजना''** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के परिषद के पत्रांक 2 {2}/91-रा.भा. दि. 06/05/91 द्वारा प्राप्त राजभाषा आदेशों के अनुपूरक संकलन {मई 1986 तक} संशोधित नियम पुस्तक के पृष्ठ संख्या-66 के क्रमांक 236, का.ज्ञा. सं. 12034/8/86 रा.भा. {क-2} दि. 31.10.88 के अनुसरण में इस संस्थान की ''वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों/प्रकाशित बुलेटिनों/फोल्डर/शोध पत्र/आलेख आदि के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च की एक वर्ष की अवधि) में एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार चयनित वैज्ञानिकों को नकद प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है।
घ	**हिन्दी पखवाड़ा व चेतना मास का आयोजन** संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर से 15 अक्तूबर तक हिन्दी चेतना मास का भव्य आयोजन किया जाता है तथा इस दौरान संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों व प्रशासनिक स्टाफ के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा विजेताओं को प्रमाण-पत्रादि से सम्मानित किया जाता है।
च	**समय-समय पर प्रतियोगिताएं** : समय समय पर विभिन्न राजभाषा गतिविधियों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

15. राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा व सहयोग

संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सभी पदाधिकारियों व प्रभारियों द्वारा पर्याप्त अभिप्रेरणा व सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

16. संस्थान के कर्मचारियों को व्यक्तिशः आदेश

संस्थान में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी का प्रवीणता प्राप्त या कर्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने के फलस्वरूप राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत संस्थान को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है तथा संस्थान के सभी प्रभागों के अध्यसक्षों व अनुभागों के प्रभारियों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अनुसार अपना समस्त प्रशासनिक सरकारी कार्य हिंदी में निष्पादित करने के लिये संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर से व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए हैं। स्थानांतरण पदोन्नति व नवनियुक्ति पर संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले वैज्ञानिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर से व्यनक्तिश: आदेश जारी किये जाते हैं।

व्यक्तिश: आदेश का एक नमूना

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल

ICAR-NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE, KARNAL

अग्रसेन चौक, करनाल- 132001/ AGRASEN CHOWK, KARNAL, HARYANA, PIN-132001.

फा. सं. 1(4)/2017-18/व्यक्तिशः आदेश **दिनाँक: 7/6/2018**

व्यक्तिशः आदेश

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने के कारण राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत संस्थान को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। चूँकि **श्री कुणाल कालड़ा, वित्त एवं लेखा अधिकारी, (जिन्होंने दि. 1.8.2016 को संस्थान में नियुक्ति पर कार्यग्रहण किया है)** हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं। अतः उन्हें उक्त नियमावली के नियम 8 (4) के अनुसार अपना समस्त प्रशासनिक सरकारी कार्य हिंदी में निष्पादित करने के लिये तत्काल प्रभाव से विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा साथ ही आदेश दिया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रशासनिक कार्य केवल हिंदी में ही निष्पादित करें-

1. **'क' तथा 'ख' क्षेत्र के राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी पत्र आदि। 'ग' क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से न्यूनतम 65 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में।**
2. **हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर।**
3. **किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में किये गये हस्ताक्षर, किये गये आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।**
4. **संबंधित पत्रावलियों पर टिप्पणियाँ।**
5. **उल्लेखनीय है कि उक्त का अपालन एवं अवहेलना को संसदीय समिति अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेती है।**

(आर.आर.बी. सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. श्री कुणाल कालड़ा, वित्त एवं लेखा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. नियंत्रक, ऑडिट अनुभाग
3. गार्ड फाइल

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान संस्थान के द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में अर्जित पुरस्कार एवं सम्मान (Honours & awards secured by NDRI in the field of Official Language)

क. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल के द्वारा संस्थान को अब तक प्रदान किए गए पुरस्कार

क्र.	वर्ष	पुरस्कार	श्रेणी	प्राप्ति तिथि
1	2004-05	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	20.12.2005
2	2005-06	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	21.12.2006
3	2006-07	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	द्वितीय	22.12.2007
4	2011-12	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	द्वितीय	27.06.2012
5	2012-13	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	26.06.2013
6	2013-14	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	27.06.2014
7	2014-15	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	द्वितीय	24.06.2015
8	2016-17	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	09.06.2017
9	2017-18	नराकास करनाल वार्षिक राजभाषा पुरस्कार/राजभाषा शील्ड	प्रथम	12.06.2018

ख. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सम्मान

क्र.	वर्ष	पुरस्कार	श्रेणी	प्राप्ति तिथि
1	2001-02	भाकृअप-राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार	द्वितीय	12.11.2002
2	2008-09	भाकृअप-राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार	प्रथम	16.07.2009
3	2011	भाकृअप-राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार	द्वितीय	19.03.2013

ग. संस्थान की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध-गंगा'' को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सम्मान

क्र.	वर्ष	पुरस्कार	श्रेणी
1	2010-11	भाकृअप द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी कृषि पत्रिका पुरस्कार-2011	प्रोत्साहन
2	2011-12	भाकृअप द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी कृषि पत्रिका पुरस्कार-2012	तृतीय

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा'' पत्रिका के अब तक प्रकाशित अंकों के आवरण पृष्ठ एक नजर में

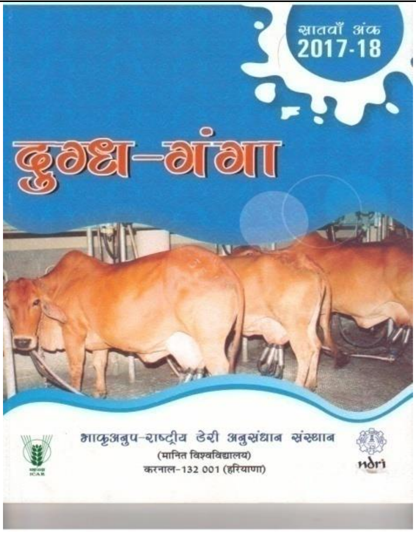

सातवाँ अंक(2017-18)

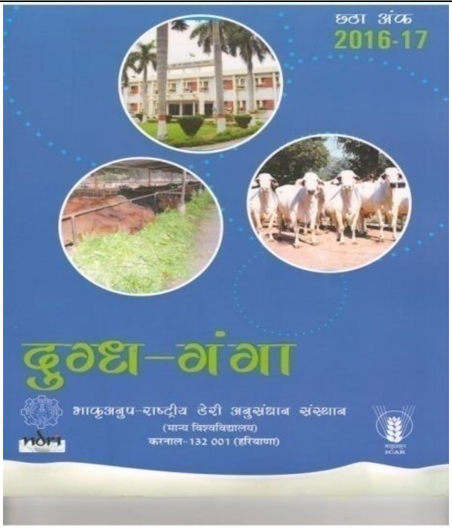

छठा अंक(2016-17)

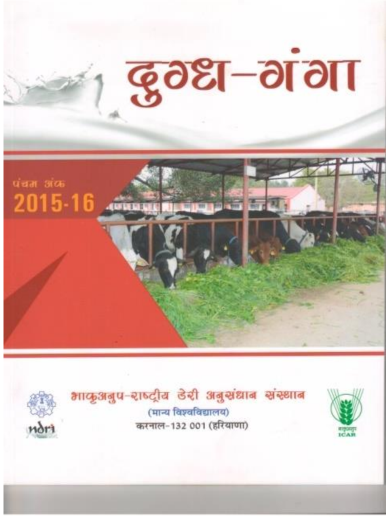

पाँचवाँ अंक (2015-16)

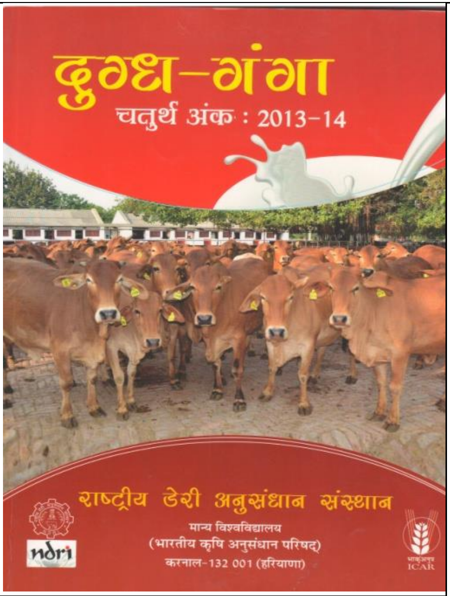

चौथा अंक(2013-14)

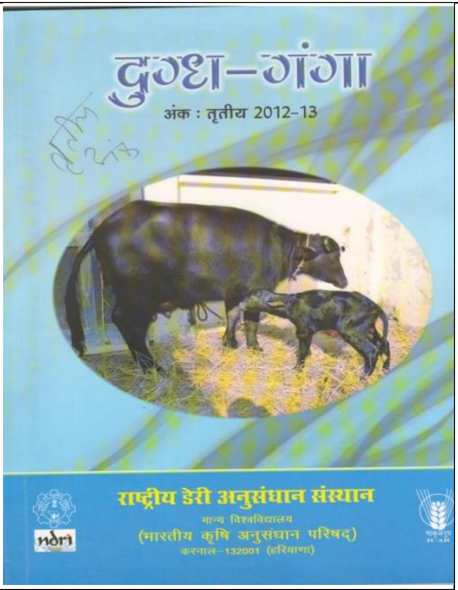

तीसरा अंक(2012-13)

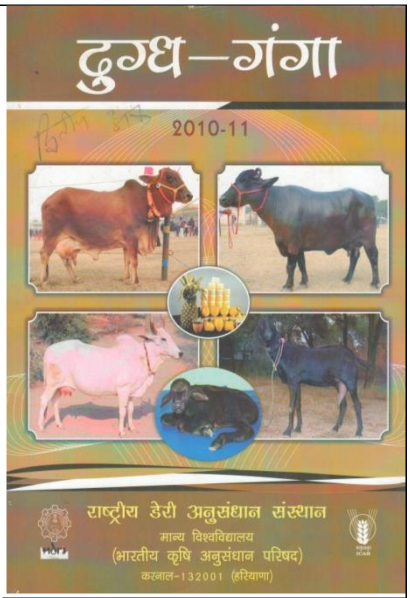

दूसरा अंक(2010-11)

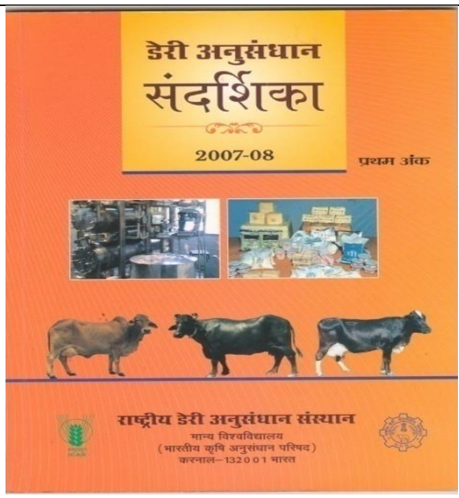

प्रथम अंक (2007-08)

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल के अध्यक्षीय कार्यालय के रूप में अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण कार्य

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक, नगरस्तरीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल के पदेन अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष नराकास एवं निदेशक, भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की अध्यक्षता में समिति की दो बैठकें, प्रत्येक वर्ष जून एवं नवंबर माह में आयोजित की जाती हैं, जिनमें करनाल में स्थित 55 केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, लिमिटेडों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के प्रशासनिक अध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजभाषा अधिकारियों एवं प्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है। इन बैठकों में भारत सरकार, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी भी शामिल होते हैं। समिति द्वारा समिति के रूटीन प्रकार के कार्यों के अलावा अध्यक्ष नराकास एवं संस्थान के निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में संस्थान के राजभाषा एकक के प्रभारी मय नराकास समन्वयक एवं सचिव नराकास द्वारा समिति के सदस्य कार्यालयों को राजभाषा के प्रचार, प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु समय समय पर मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। समिति द्वारा छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालयों के प्रधानों एवं प्रतिनिधियों की सहमति से निर्णित अनुसार विभिन्न राजभाषा गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्तमान में निम्नलिखित 55 सदस्य कार्यालय इस समिति के सदस्य हैं-

1 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
2 भाकृअनुप-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, काछवा रोड, करनाल
3 भाकृअनुप-राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, (एनबीएजीआर), करनाल
4 भाकृअनुप-भारतीय गेहूं एवं जौं अनुसंधान संस्थान, करनाल
5 भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कुंजपुरा रोड, करनाल
6 भाकृअनुप-गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पी.बी.52, अग्रसेन मार्ग, करनाल
7 सीपीडब्ल्यूडी(सिविल), केन्द्रीय मंडल, एनडीआरआई कैंपस, करनाल
8 सीपीडब्ल्यूडी(विद्युत), केन्द्रीय विद्युत डिविजन,, सेक्टर-3, करनाल
9 प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय, सेक्टर-12, आयकर भवन, करनाल
10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, करनाल
11 प्रधान डाकघर, करनाल मण्डल, जीपीओ- करनाल, करनाल
12 सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, करनाल
13 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, करनाल
14 रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी कार्यालय, करनाल
15 उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करनाल
16 स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, करनाल रेलवे स्टेशन, करनाल
17 भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी, करनाल
18 सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) कार्यालय, करनाल
19 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल
20 सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल
21 केन्द्रीय विद्यालय, कैथल रोड, करनाल
22 जवाहर नवोदय विद्यालय, सग्गा, करनाल
23 भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, करनाल
24 केन्द्रीय भण्डार गृह(1), केन्द्रीय भण्डारण निगम, मटक माजरी, करनाल
25 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सेक्टर-3, करनाल
26 एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, आई.टी.आई. के पास, करनाल
27 भारत संचार निगम लि0, सेक्टर 8, अरबन स्टेट, करनाल
28 दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, करनाल, हरियाणा
29 भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, करनाल
30 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्लस्टर कार्यालय, करनाल
31 दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लिमि., मंडलीय कार्यालय, करनाल
32 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडलीय कार्यालय, जीटी रोड, करनाल

33 नेशनल इंश्योरेंस कं.लि., मंडलीय कार्यालय, करनाल
34 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमि0, मंडल कार्यालय,जीटी रोड, करनाल
35 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि., वाहन डीलर कार्या, करनाल
36 कॉर्पोरेशन बैंक, मुख्य शाखा, महफिल बिल्डिंग, जी.टी.रोड, करनाल
37 इण्डियन ओवरसीज बैंक, करनाल
38 केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, करनाल
39 पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, करनाल
40 भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, करनाल
41 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मॉडल टाउन, करनाल
42 बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल
43 बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, करनाल
44 इण्डियन बैंक, अंचल कार्यालय, करनाल
45 इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, करनाल
46 आन्ध्रा बैंक, करनाल
47 विजया बैंक, सेक्टर 12, करनाल
48 पंजाब एवं सिंध बैंक, मुख्य शाखा, जीटी रोड, करनाल
49 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, करनाल
50 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य शाखा, करनाल
51 सिंडिकेट बैंक, मुख्य शाखा, करनाल
52 भारतीय स्टेट बैंक, एनडीआरआई शाखा, करनाल
53 नेशनल फर्टिलाजर्स लिमिटेड, करनाल
54 नेहरू युवा केन्द्र संगठन, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल
55 यूको बैंक, अंचल कार्यालय हरियाणा, करनाल

****

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल के अध्यक्षीय कार्यालय के रूप में भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रह पत्रिका ''कर्णोदय'' के प्रकाशित अंकों के आवरण पृष्ठ एक नजर में

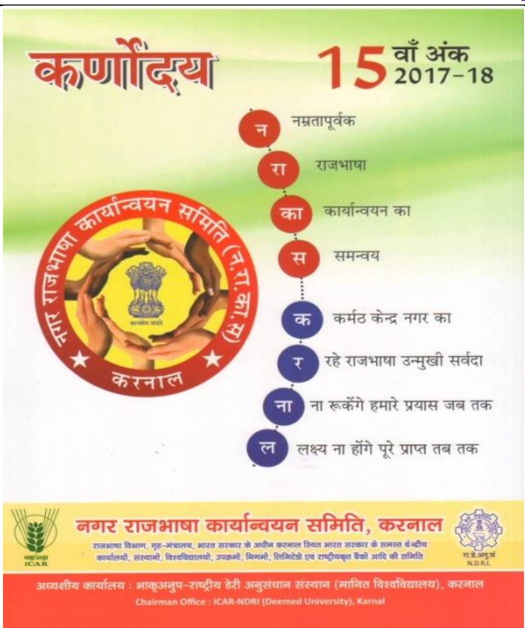

पन्द्रहवाँ अंक(2017-18)

चौदहवाँ अंक(2016-17)

<table>
<tr><td>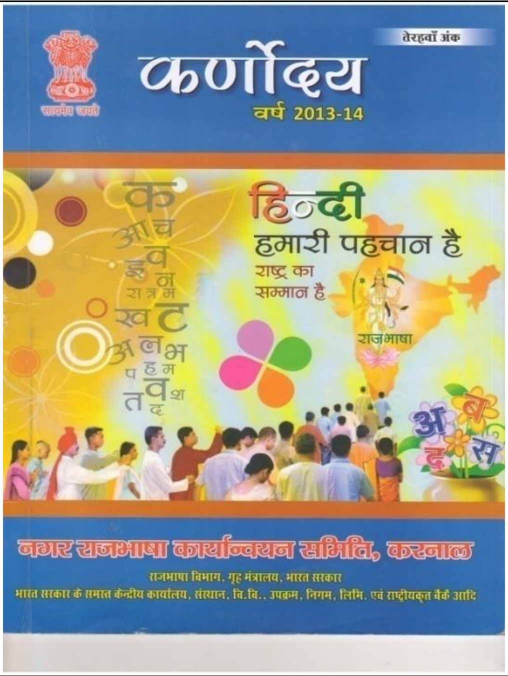
</td>
<td>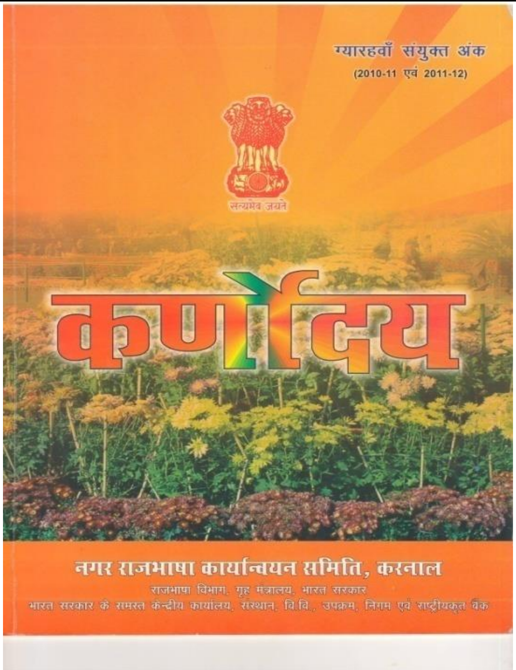
</td></tr>
<tr><td>तेरहवाँ अंक(2013-14)</td><td>ग्यारहवाँ अंक(2010-11, 2011-12)</td></tr>
<tr><td>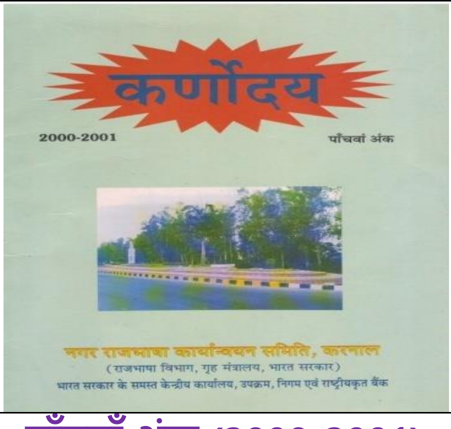
</td>
<td rowspan="2">उपरोक्त पत्रिका का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, छठा, सातवाँ, आठवाँ, नवाँ, दसवाँ एवं बारहवाँ अंक नमूना छायाचित्र हेतु असुलभ है।</td></tr>
<tr><td>पाँचवाँ अंक (2000-2001)</td></tr>
</table>

(भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13-5/95-हिन्दी

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1995

अधिसूचना

का.आ. केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एतद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित संस्थानों जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

1. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का वेरावल अनुसंधान केन्द्र (गुजरात)
2. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)

(आर. पी. सरोज)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का वेरावल अनुसंधान केन्द्र (गुजरात)
3. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)
4. भा.कृ.अ.प. के सभी अनुभाग
5. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
6. निदेशक (रा.भा.) भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली।

(आर. पी. सरोज)
अवर सचिव, भारत सरकार

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION(II)
OF GAZETTE OF INDIA)

No.13-5/95-Hindi
Government of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of Agril. Res. & Education
Krishi Bhavan, New Delhi

Dated the 10 March, 1995

NOTIFICATION

S.O In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use of Official purpose of the Union) Rule 1976, the Central overnment, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research & Education here by notifies the following Institutes of ICAR, where more than 80 percent of Staff have acquired the working knowledge of Hindi.

1. Veraval Research Centre of Central Marine Fisheries Institute (Gujrat).
2. National Dairy Research Institute, Karnal, (Haryana).

(R.P. SAROJ)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

Copy to:-
1. All Ministries/Departments of Govt. of India.
2. Veraval Research Centre of Central Marine Fisheries Institute (Gujrat).
3. National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana).
4. Committee of Parliament on Official Language, 11-Teen Murti Marg, New Delhi.
5. Director, Hindi, ICAR.

(R.P. SAROJ)
Under Secretary to the Govt. of India

CAO
ADL
Director
20/3/95

राजभाषा एकक
भा0कृ0अनु0परि0– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
ईमेल : tolic.karnal.ndri@gmail.com

....

फा0सं0/अनुदेश–राजभाषा एकक/2018 दिनांक, 28/3/2018.

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 19.3.2018 को संपन्न हुई संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान में प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। तदनुसार, भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करते हुए, समिति के दायित्वों को निर्धारित किया जाता है–

क्र.	पदाधिकारी	समिति में क्षमता
1.	निदेशक, भाकृअनुप, राडेअनुसं, करनाल (उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक निदेशक)	अध्यक्ष,
2.	संयुक्त निदेशक(शैक्षणिक), संयुक्त निदेशक(अनुसंधान), संयुक्त निदेशक(प्रशासन व कुलसचिव), नियंत्रक	सदस्य
3.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक(प्रशासन व कुलसचिव) या कार्यवाहक मु.प्रशा.अधि.)	संयोजक
4.	उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)	सदस्य सचिव
5.	संस्थान के सभी प्रभागों के अध्यक्ष/अनुभागों के प्रभारी (डेरी प्रौद्योगिकी/डेरी पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन प्रभाग/डेरी रसायन प्रभाग/डेरी पशु शरीर किया विज्ञान प्रभाग/डेरी पषु पोषण प्रभाग/डेरी इंजीनियरी प्रभाग/डेरी सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग/डेरी जीव रसायन प्रभाग/डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग/डेरी विस्तार प्रभाग/ए.बी.टी.सी./एल.पी.एम. (पशुधन प्रबंधन केन्द्र)/सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र(एटिक)/चारा प्रबन्धन/शैक्षिक व अनुसंधान केन्द्र(एफआरएमसी)/पशुधन अनुसंधान केन्द्र/पषु प्रजनन एवं अनसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/डी0टी0सी0/कंप्यूटर केन्द्र/पुस्तकालय सेवायें/संचार केन्द्र/सुरक्षा अनुभाग/प्रयोगात्मक डेरी/ अनुरक्षण अनुभाग/पी.एम.ई.सेल/परीक्षा नियंत्रक/विश्वविद्यालय कार्यालय)	सदस्य
6.	सभी स्थापना अनुभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी(प्रेस एवं संपादन)/	सदस्य
7.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य

<u>टिप्पणी</u> : उपरोक्त पदाधिकारियों/प्रभारियों के अपरिहार्य कारणों से संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल न हो पाने की स्थिति में उनका कार्यभार देखने वाले पदाधिकारी/प्रभारी बैठक में भाग लेंगे। सेवाओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी/प्रभाग/अनुभाग अपने प्रतिनिधि कर्मचारी को नामित कर सकते हैं, तथा इस संबंध में समिति के अध्यक्ष/राजभाषा एकक को ईमेल/पत्र के द्वारा सूचित करना अपेक्षित होगा।

आमंत्रित सदस्यगण

.1	निदेशक(राजभाषा), भाकृअनुप, कृषि भवन, दिल्ली।
2	क्षेत्रीय उप निदेशक(कार्यान्वियन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
3	प्रभारी, राजभाषा एकक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल।
4	प्रभारी, राजभाषा एकक, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो(एन.बी.ए.जी.आर.), करनाल
5	प्रभारी, राजभाषा एकक, भारतीय गेहूं एवं जौं अनुसंधान संस्थान, करनाल।
6	प्रभारी, राजभाषा एकक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल।
7	प्रभारी, राजभाषा एकक, गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल।
8	प्रभारी, राजभाषा एकक, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, राडेअसं., बंग्लौर/ प्रभारी, राजभाषा एकक, पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, राडेअसं., कल्याणी
9	महाप्रबन्धक, मॉडल डेरी संयंत्र, राडेअनुसं, करनाल

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी–

क.	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पूर्व बैठक का आयोजन कर सर्वसंबंधितों को बैठक के कार्यवृत्त समय पर जारी करना।
ख.	पिछले तीन माह के दौरान संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना।
ग.	तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना और हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
घ.	संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व कार्यान्वयन में आने वाले कठिनाइयों की समीक्षा करके सुझाव भेजना।
च.	संस्थान की वेबसाइट में द्विभाषी कंटेंट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
छ.	संस्थान के सभी फॉर्मों/रबर मुहरों/धारा 3(3) के अंतर्गत विज्ञापनों/टेण्डरों को द्विभाषी जारी करने की समीक्षा करना।
ज.	समिति को प्राप्त हुए सुझावों पर निर्णय लेकर यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाना।

28/03/18
(आर.आर.बी.सिंह)
निदेशक
भाकृअनुप–राडेअनुसं, करनाल

<u>वितरण (सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु)</u> :
निजी सचिव, निदेशक, भाकृअनुप–राडेअनुसं को उनके सूचनार्थ/आमंत्रित सदस्यगण के कार्यालय प्रधानों को ईमेल से।
निजी सचिव, संयुक्त निदेशक(शैक्षणिक)/(अनुसंधान)/(प्रशासन) एवं कुलसचिव कार्यालय/वित्त नियंत्रक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
संस्थान के सभी प्रभाग/अनुभाग के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी–उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के सूचनार्थ।
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सभी प्रशा.अधि./सभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी/राजभाषा एकक गार्ड फाइल

राजभाषा एकक OFFICIAL LANGUAGE UNIT

भा0कृ0अनु0परि0– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, ICAR-National Dairy Research Institute(NDRI),
अग्रसेन चौक, करनाल, हरियाणा Agrasen Chowk, Karnal, Haryana-132 001,
ईमेल आईडी email id : tolic.karnal.ndri@gmail.com

संख्या– अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दिनॉक,08 मार्च, 2018

कार्यालय आदेश

संस्थान के कार्यालय आदेश संख्या : अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दिनॉक 23.5.2017 (कृपया पिछले पृष्ठ पर देखें) के तहत यह निर्देश जारी किए गए थे कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी(हिन्दी व अंग्रेजी) में जारी किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि संस्थान के कुछ प्रभागों/अनुभागों द्वारा उपरोक्त धारा का उल्लंघन करते हुए परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं। अतः संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों के अध्यक्षों एवं प्रभारियों से यह अनुरोध है कि वे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा सभी परिपत्र आदि द्विभाषी रूप में जारी करवायें। साथ ही उक्त धारा के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी दस्तावेजों(सूची निम्नवत् उल्लेखित है) को द्विभाषी रूप में जारी करने का अनुरोध भी किया जाता है :–

This institute vide its office order No.Anudesha/Rajbhasha Ekak/2017 dated 23.5.2017 (please see overleaf) had issued instructions that all the documents covered under Article 3(3) of O.L. Act 1963 would be issued in bilingual(Hindi & English) form. This has come to the notice of the competent authority that some divisions/sections are still issuing their circulars in English form only which is violation of above act. All Head of the Divisions/Section incharges are therefore requested to look into the matter personally and arrange to issue circulars etc. in bilingual/hindi form. It is also requested to issue all other documents(list is enclosed hereunder) covered under abovesaid act in bilingual form only :-

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत वे दस्तावेज जिन्हें अनिवार्यतः द्विभाषी जारी किया जाना है
The documents which are mandatorily required to be issued in bilingual form under article 3(3) of OL Act 1963 :-

(1) संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें।
(Resolutions, notifications, advertisements, administrative and other reports)

(2) सामान्य आदेश जैसे General orders such as :–

(i) सभी आदेश, विभागीय प्रयोग के लिए सभी निर्णय अथवा अनुदेश जो स्थायी प्रकार के हों।
All orders, decisions or instructions intended for departmental use and which are of standing nature

(ii) सभी आदेश, अनुदेश, पत्र ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारी अथवा उनके समूहों के लिए हों
All orders, instructions, letters, memoranda, notices etc. relating to or intended for a group or groups of Government employees

(iii) सभी परिपत्र चाहे विभागीय उपयोग के लिए हों, अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।
All Circulars whether intended for departmental use or for Government employees

(3) संविदाएं, करार, लाईसेंस, परमिट, समाचार पत्रों में विज्ञापन, निविदा सूचनाएं तथा निविदाओं के प्रारूप।
Contracts, agreements, licenses, permits, advertisements in news papers, notices, forms of tenders

(4) इनके अतिरिक्त निम्न कार्यो के लिए भी दोनो भाषाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

(1) सभी रिपोर्ट एवं रिटर्न के प्रारूप(Formats of all reports & returns)
(2) पत्र शीर्ष, कार्यालय सील तथा रबड़ की मोहरें, नामपट्ट एवं सभी वाहनों की प्लेटें
(Letter heads, office seals and rubber stamps, name plates and plates of all the vehicles)
(3) सभी प्रकार के स्टेशनरी फॉर्म(All kinds of stationery forms)
(4) सभी बैनर, पम्फलैट, फोल्डर, बुलेटिन आदि(All banners, pamphlets, folders, bulletins etc.)
(5) फाइल कवरों, रजिस्टरों, रोकड़–बहियों एवं सेवा पुस्तिकाओं आदि पर नंबर, विषय एवं संदर्भ द्विभाषी रूप में लिखना।
(To write numbers, subject, reference on file covers, registers, cash books & service books in bilingual form)

112–116
9-3-18

(पत्र दिनॉक 23.5.17 संलग्न है।)

सुशांत
(सुशांत साहा)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन) व कुलसचिव

वितरण (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) –
संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
सभी रूटीन प्रकार के परिपत्र/कार्यालय आदेश के द्विभाषी प्रारूप अनुवाद के लिए राजभाषा एकक को शीघ्र भिजवा दें।

नई दिल्ली–110 001

राजभाषा एकक OFFICIAL LANGUAGE UNIT

कृ0अनु0परि0– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, ICAR-National Dairy Research Institute(NDRI), अग्रसेन चौक, करनाल, हरियाणा Agrasen Chowk, Karnal, Haryana-132 001, ईमेल आईडी email id : tolic.karnal.ndri@gmail.com

संख्या– अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दिनॉक 20 मई, 2017

कार्यालय आदेश

भाकृअनुप–राडेअनुसं., करनाल कार्यालय को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.13–5/95–रा.भा. दिनॉक 10.3.1995 के तहत राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र(गजट) में अधिसूचित किया गया है। अतः राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने एवं संस्थान में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत संस्थान के निम्नलिखित प्रभागों एवं अनुभागों को शासकीय प्रयोजनो के लिए अपना शत–प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है–

क्र.सं.	प्रभाग/अनुभाग का नाम	क्र.सं.	प्रभाग/अनुभाग का नाम
1.	स्थापना 1	20.	डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग
2.	स्थापना 2	21.	डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग
3.	स्थापना 3	22.	डेरी अभियांत्रिकी प्रभाग
4.	स्थापना 4	23.	डेरी रसायन प्रभाग
5.	स्थापना 5	24.	पशुधन अनुसंधान केन्द्र/पशु स्वास्थ्य परिसर
6.	नकदी-देयक अनुभाग (सभी)	25.	पशु आनुवांशिकी व प्रजनन प्रभाग
7.	ऑडिट अनुभाग	26.	शस्य विज्ञान अनुभाग/चारा अनुसंधान व प्रबन्धन केन्द्र
8.	परीक्षा नियन्त्रक	27.	कृषि विज्ञान केन्द्र/डेरी प्रशिक्षण केन्द्र
9.	विश्वविद्यालय कार्यालय	28.	पशु जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
10.	राजभाषा एकक	29.	प्रयोगात्मक डेरी प्रभाग
11.	पुस्तकालय	30.	पशु जीव रसायन प्रभाग
12.	एस आर सी/पीएमई प्रकोष्ठ	31.	पशु पोषण प्रभाग
13.	श्रम कल्याण अधिकारी	32.	कृत्रिम प्रजनन अनुसंधान केन्द्र
14.	वाहन अनुरक्षण अनुभाग	33.	पशु शरीरक्रिया प्रभाग
15.	अनुरक्षण अनुभाग	34.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र
16.	चारा उत्पादन अनुभाग	35.	सम्पदा अनुभाग
17.	पशुधन उत्पादन प्रबंधन अनुभाग	36.	केन्द्रीय भण्डार
18.	डेरी सूक्ष्म जीवाणुविज्ञान प्रभाग	37.	संचार केन्द्र
19.	डेरी विस्तार प्रभाग		

2. संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों से तदनुसार राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम के अनुसरण में भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की जाती है।

(आर.आर.बी. सिंह)
कार्यवाहक निदेशक
भाकृअनुप–राडेअनुसं, करनाल

वितरण (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) –

1	निदेशक, भाकृअनुप–राडेअनुसं, करनाल को सूचनार्थ प्रेषित है।
2	निदेशक(राजभाषा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित है। (ईमेल: hindianubhag@yahoo.in से)
3	क्षेत्रीय उपनिदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली–1, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, ए–149, सरोजिनी नगर, नई–दिल्ली–110023 को सूचनार्थ प्रेषित है।(ईमेल आईडी : ddriodel-dol@nic.in से)
4	अध्यक्ष, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं) बंगलौर, कर्नाटक, पिन–560030 (ईमेल *kpragb@gmail.com* से) को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5	अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, (राडेअनुसं), पोस्ट–कल्याणी, नाडिया, प0बंगाल, पिन–741235 (ईमेल ndrikly-wb@nic.in, tkdcirg@gmail.com से) को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6	संयुक्त निदेशक(प्रशासन) एवं कुलसचिव/(शैक्षणिक)/(अनुसंधान)/नियंत्रक/मु.प्र.अधि./व.प्र.अधि.(स्था.2) एवं (क्रय)/व.वि.ले.अ./वि.ले.अधि./सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सभी प्रभाग/अनुभाग के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी आदि को संस्थान की डाक प्रेषण की मानक सूची के अनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के अनुरोध के साथ प्रेषित है।
7	सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल को सूचनार्थ।

राजभाषा एकक OFFICIAL LANGUAGE UNIT
भा0कृ0अनु0परि0– राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, ICAR-National Dairy Research Institute(NDRI), अग्रसेन चौक, करनाल, हरियाणा Agrasen Chowk, Karnal, Haryana-132 001,
ईमेल आईडी email id : tolic.karnal.ndri@gmail.com

संख्या– अनुदेश/राजभाषा एकक/2017 दिनॉक, 18 मई, 2017

कार्यालय आदेश

विषय : राजभाषा अनुदेशों के अनुपालन के लिए जॉच बिन्दुओं की स्थापना

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/2/92–रा.भा.(ख.2) में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनायेंगे और जांच बिन्दुओं को प्रभावशाली ढ़ंग से स्थापित करेंगे। अतः इस संस्थान के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार जांच बिन्दु स्थापित किए जाते हैं–

क्र. सं.	विषय	जांच बिन्दु
1.	धारा 3(3) के तहत सामान्य आदेश व दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में जारी करना राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी 14 प्रकार के दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ–साथ जारी होने चाहिए। इन 14 प्रकार के दस्तावेजों में संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियॉं, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन व राजकीय कागज–पत्र, संविदायें, करार, अनुज्ञप्तियॉं, अनुज्ञापत्र, सूचनाएं और निविदा–प्रारूप आदि आते हैं।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी
2.	मूल पत्राचार : 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले मूल पत्र 100 प्रतिशत हिन्दी में भेजे जाएं।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी
3	रबड की मोहरों, नामपट्टों, साइन–बोर्ड, बैनरों, स्टेशनरी, फॉर्म आदि का द्विभाषी प्रयोग सभी प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सभी रबड की मोहरें, नामपट्ट, साइन–बोर्ड, बैनर, स्टेशनरी, फॉर्म आदि हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में ही तैयार कराए जाएंगे। इनमें हिन्दी पंक्ति सदैव ऊपर रखी जाएगी। इन्हें तैयार कराने से पहले राजभाषा एकक से वैटिंग भी कराया जाना अपेक्षित है।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी
4.	हिन्दी पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया जाना व 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में दिए जाने की जिम्मेदारी उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएंगे।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी
5.	द्विभाषी प्रकाशन : फार्मो, कोडों, मैनुअलों तथा राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचनाओं को द्विभाषिक रूप में तैयार करके मुद्रित कराया जाएगा।	–तदैव–
6.	सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों की डेस्क को भी जांच बिन्दु बनाया जाता है। सभी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी उनके पास प्रस्तुत की जाने वाली डाक में अपनी अभ्युक्ति देने/हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कामकाज में राजभाषा नियमों का पालन हो रहा है। वे विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को भी सुनिश्चित करेंगे – क. हिंदी पत्रों का हिंदी में जवाब भेजा जा रहा है। ख. हिंदी की कार्यालय टिप्पणियों पर हिंदी में ही अभ्युक्ति/आदेश दिए जाते हैं। ग. हिंदी में प्राप्त हुए पत्रों, डाक आदि पर केवल हिंदी में ही मार्किंग की जाती है। घ. राजभाषा नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में या द्विभाषी(हिन्दी व अंग्रेजी) में जारी होने हैं उन्हें नियमानुसार तैयार करके जारी करवायेंगे तथा यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। च. भारत सरकार, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में सभी मदों में उल्लेखित न्यूनतम मदों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठायेंगे।	–तदैव–

7.	सभी प्रकार के कंप्यूटरों की द्विभाषी समर्थित रूप में खरीद सभी प्रकार के कंप्यूटरों की खरीद के मामले में जांच बिन्दु यह होगा कि इन उपकरणों का इन्डेंट करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी को यह देखना होगा कि सभी कंप्यूटरों में द्विभाषा अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइप करने की सुविधा होनी चाहिए। यदि पूर्व में खरीदे गए कंप्यूटरों में हिंदी फोंट एवं युनिकोड में कार्य करने की सुविधा नहीं है तो उसे राजभाषा एकक से संपर्क करके अपडेट करा जाना तथा खरीदे गए कंप्यूटरों में हिंदी फोंट एवं युनिकोड सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लोड होना सुनिश्चित किया जाएगा।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/वरि.प्रशा.(क्रय), प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र एवं कंप्यूटर खरीदने वाले सभी इंडेंटिंग अधिकारी/लिपिक
8.	लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच बिन्दु के रूप में कार्य करेगा कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाएं।	क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी /प्राप्ति एवं प्रेषक लिपिक
9.	सेवा पुस्तिकाओं में इन्दराज सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां केवल हिन्दी मे की जाएंगी। सेवा पुस्तिका के ऊपर कार्मिकों के नाम इस प्रकार द्विभाषी लिखे जाएगी कि हिंदी पंक्ति सदैव ऊपर रहे।	वरिष्ठ प्रशासनिक अधि./प्रशा.अधि0/ सहा0प्रशा. अधि.– स्था. 1, 2, 3 व 4

2. संस्थान के सभी क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्षों/प्रभागाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों से उपरोक्त जॉच बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम के अनुसरण में भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

(आर.आर.बी. सिंह)
कार्यवाहक निदेशक
भाकृअनुप–राडेअनुसं, करनाल

वितरण (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) –

1 निदेशक, भाकृअनुप–राडेअनुसं, करनाल को सूचनार्थ प्रेषित है।

2 निदेशक(राजभाषा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित है। (ईमेल आईडी : hindianubhag@yahoo.in से)

3 क्षेत्रीय उपनिदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली–1, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, ए–149, सरोजिनी नगर, नई–दिल्ली–110023 को सूचनार्थ प्रेषित है। (ईमेल आईडी : ddriodel-dol@nic.in से)

4 अध्यक्ष, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं) बंगलौर, कर्नाटक, पिन–560030 (ईमेल kpragb@gmail.com से) । कृपया आपके क्षेत्रीय केन्द्र में उपरोक्त जॉच बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

5 अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, (राडेअनुसं), पोस्ट–कल्याणी, नाडिया, प0बंगाल, पिन–741235 (ईमेल ndriklу-wb@nic.in, tkdcirg@gmail.com से)। कृपया आपके क्षेत्रीय केन्द्र में उपरोक्त जॉच बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

6 संयुक्त निदेशक(प्रशासन) एवं कुलसचिव/(शैक्षणिक)/(अनुसंधान)/नियंत्रक/मु.प्र.अधि./व.प्र.अधि.(स्था.2) एवं (क्रय)/व.वि.ले.अ./वि.ले.अधि./सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सभी प्रभाग/अनुभाग के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी आदि को संस्थान की डाक प्रेषण की मानक सूची के अनुसार। कृपया उपरोक्त जॉच बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

7 सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल को सूचनार्थ।

संस्थान की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा'' के वर्ष 2017-18 के सातवें अंक में प्रकाशित हिन्दी आलेखों की विषय-सूची

विषय-सूची

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा''
(सातवाँ अंक, वर्ष 2017-18)

क्र.सं.	आलेख का नाम	पृष्ठ सं.
1.	नई डेयरी कैसे आरम्भ करें ? **अश्विनी कुमार रॉय एवं महेन्द्र सिंह**	01
2.	डेयरी पशुओं में मद की पहचान के वैज्ञानिक तरीके **निशान्त कुमार, सुनीता मीणा, अंजली अग्रवाल, मोहन मंडल, नीलम उपाध्याय एवं एस.एस. लठवाल**	03
3.	मोबाइल एस.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सूचना का प्रसार : भाकृअनुप–राडेअनुसं के पूर्वी क्षेत्रीय स्टेशन द्वारा एक पहल **आसिफ मोहम्मद, अनुपम चटर्जी, चंपक भगत, पवन कुमार गौतम, सोमनाथ दत्ता एवं टी.के.दत्ता**	07
4.	प्रिल्ड वसा से दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता बढ़ायें **महेन्द्र सिंह**	10
5.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी पशु प्रबंधन **अजीत सिंह, नदीम शाह, सतेन्द्र कुमार यादव, मुकेश भकत एवं तुषार कुमार मोहन्ती**	12
6.	किसान भाई जैविक खेती अपनाएं व अधिक लाभ कमाएं **उत्तम कुमार, राकेश कुमार, मगन सिंह, हरदेव राम, राजेश कुमार मीणा, विजेन्द्र कुमार मीणा एवं मालूराम यादव**	17
7.	उच्च–रक्त–पैत्तव के प्रबंधन में प्रोबायोटिक्स की भूमिका **राधा यादव, सुनीता मीणा, तरूणा गुप्ता, राजीव कपिला एवं सुमन कपिला**	20
8.	मानव स्वास्थ्य और प्रोबायोटिक **तरूणा गुप्ता, सुनीता मीणा, राधा यादव, राजीव कपिला एवं सुमन कपिला**	22
9.	कृषि के क्षेत्र में पंचगव्य की उपयोगिता **विजेन्द्र कुमार मीणा, मगन सिंह, राजेश कुमार मीणा, राकेश कुमार, उत्तम कुमार एवं बाबूलाल मीणा**	24
10.	गाय के दूध की रोग प्रतिरोधक क्षमता **सविता देवी, नवीन कुमार, सुहेल हकीम खान, सुनीता मीणा, सुमन कपिला एवं राजीव कपिला**	26
11.	कोलोस्ट्रम (खीस) एक पौष्टिक पेय **सुलक्षणा सिंह, अमित कुमार कौशिक, डा. बिमलेश मान एवं राजन शर्मा**	28
12.	जलवायु परिवर्तन का पशुधन उत्पादन पर प्रभाव एवं बचाव के उपाय **सोहनवीर सिंह एवं वाई.पी. सिंह**	30
13.	किसानों के लिए पशुओं की बीमारियों से सम्बंधित जानकारी **सविता देवी, नवीन कुमार, सुनीता मीणा, सुमन कपिला एवं राजीव कपिला**	33
14.	हरे चारे की आपूर्ति के लिये घर में अज़ोला का उत्पादन **अनुपम चटर्जी, अलकेश गोस्वामी, आसिफ मोहम्मद, चंपक भगत, डी.के.मंडल एवं पवन कुमार गौतम**	37
15.	बेहतर पशु उत्पादन एवं कल्याण के लिए पशु–मानव अन्तर्सम्बन्ध **संजय चौधरी, एम.एल.कम्बोज, यामिनी चौधरी, विवेक महला एवं नितिन रहेजा**	40
16.	सहजन **राम बहादुर वर्मा**	44

17.	नवरा धान का औषधियों में महत्वपूर्ण योगदान **विजेन्दर कुमार मीणा, राजेश कुमार मीणा, मगन सिंह, उत्तम कुमार एवं गोविन्द मकराना**	47
18.	हरे चारे हेतु खरीफ मक्का की आधुनिक उन्नत खेती **राजेश कुमार मीणा, मगन सिंह, राकेश कुमार, हरदेव राम, मालूराम एवं उत्तम कुमार**	49
19.	खरीफ मौसम में उगायी जाने वाली मुख्य चारा फसलों की उत्तम किस्में **मगन सिंह, संजीव कुमार, एवं राजेश कुमार मीणा**	52
20.	धान के समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में अजौला का महत्व **राजेश कुमार मीणा, मगन सिंह, रामकिशोर फगोडिया, कैलाश प्रजापत एवं विजेन्द्र कुमार मीणा**	57
21.	छोटे पैमाने पर पारंपरिक भारतीय डेरी उत्पादों के प्रसंस्करण और गुणवत्ता का प्रबंधन **पी.बर्नवाल, अंकित दीप, खुशबु कुमारी एवं चित्रनायक**	60
22.	बैग साइलेज : लघु स्तरीय किसानों के लिए चारा संरक्षण का उपयुक्त तरीका **भारती शर्मा, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार, सतीश डाकोरे एवं नितिन त्यागी**	63
23.	गर्मी में हरे चारे हेतु मक्का उगाएं **मगन सिंह, संजीव कुमार, राजेश कुमार मीणा, दीपा जोशी एवं वी.के.मीणा**	66
24.	डेरी उद्योग का विकास–ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान **ई.सुनील कुमार एवं जितेन्द्र कुमार डबास**	69
25.	दूध से प्राप्त किये गए जैव–सक्रिय पेप्टाइडों के लाभ **सविता देवी, नवीन कुमार, सुनीता मीणा, सुमन कपिला एवं राजीव कपिला**	71
26.	जामन और जामन के महत्व **हितेश कुमार, वैभव के लूले, धीरज कुमार नन्दा, सुधीर कुमार तोमर एवं रामेश्वर सिंह**	73
27.	खोआ : यंत्रीकृत विनिर्माण और उपयोग **अंकित दीप एवं पी.बर्नवाल**	76
28.	मध्यवर्गीय कृषक हेतु डेरी स्वचालन तकनीक **चित्रनायक**	79
29.	आधुनिक कृषि में सूचना तकनीक का महत्व **हरी राम गुप्ता, हरीश चन्द्र यादव एवं मुकेश सिंह**	83
30.	कृषि कार्य में ऊर्जा बचत के उपाय **हरीश चन्द्र यादव, हरी राम गुप्ता एवं मुकेश सिंह**	85
	राजभाषा खंड विश्वपटल पर उभरती हिन्दी : चित्रनायक	87–107
	भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल का गौरवमयी इतिहास	108–110
	छायाचित्र गैलेरी	111–114

संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 के अनुसार वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों के उन हिंदी आलेख आदि का ब्योरा जो संस्थान की वार्षिक गृह पत्रिका ''दुग्ध गंगा'' व अन्यत्र प्रकाशित हुए हैं

- आशुतोष(**2017**) इस्तेमाल के लायक बनाएंगे डेयरियों का गंदा पानी, **26** मार्च **2017**, दैनिक जागरण (करनाल जागरण) करनाल
- आशुतोष(**2017**)अब प्रदूषित जल को दोबारा आसानी से प्रयोग कर सकेंगे किसान, **16** मार्च, **2017**, एग्रो भास्कर-पानीपत, हरियाणा (दैनिक भास्कर)
- आशुतोष (**2017**) जानिए कैसे प्रयोग प्रदूषित जल को, **16** मार्च **2017**, दैनिक भास्कर-करनाल, हरियाणा
- आशुतोष, मंजू, आशुतोष, कान्ता, अंकित, गंदोत्रा, कुमार, सतीश एवं चयल, राममूर्ति (**2017**) पशुशाला में अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग एवंज ल संरक्षण हेतु विकसित तकनीक, **14** फरवरी **2017**
- बर्नवाल पी., दीप ए., श्रीनिवास एस.,सिंह पी.(**2017**)पारंपरिक भारतीय डेरी उत्पादों के लिए मशीनीकरणः एक परिचय, दुग्ध गंगा, अंक **6, 2016-2017** पृष्ठ **8-12,** भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.,**(**मान्य विश्वविद्यालय)
- बर्नवाल पी.मिंज पी.एस(**2017**) डेरी एवं खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के लिए स्वच्छ डिजाइन संबंधी कुछ आवश्यक बातें, दुग्धगंगा, अंक **6, 2016-2017** पृष्ठ **63-67**, भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.,**(**मान्य विश्वविद्यालय)
- बेहरे, पी.वी., तोमर, एस.के., मंडल एस एवं शर्मा, वाई(**2016**) कम वसा वाली दही का व्यावसायिक उत्पादन एवं महत्व, पृष्ठ **82**, स्मारिका भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान
- चन्दन, कुमार, कम्बोज, एम.एल एवं पूजा तम्बोली(**2016**)गाय या भैंस को गर्मी में लाने के उपाय, लाइवस्टाक टैक्नोलोजी (**5**) **12:14**
- चित्रनायक, मंजूनाथ एम, कुमार एम., सिंह ए के, वैराट ए.,कुमारी के (**2017**) उच्च गुणवत्ता के पनीर उत्पादन हेतु स्वचालित प्रेस तकनीक का विकास, दुग्ध गंगा अंक **6, 2016-17**, पृष्ठ **68-69**, भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.(मान्य विश्वविद्यालय)
- दबास जे.के., कुमार एस.(**2017**) ऊर्जा संरक्षण का महत्व या ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रबंधन के प्रभावी उपाय, दुग्ध गंगा, अंक **6, 2016-17**, पृष्ठ **56-59**, भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.(मान्य विश्वविद्यालय)
- दीप ए., बर्नवाल पी., डुडेजा ए.के.(**2017**) दानेदार खोआ के तीन चरण स्क्रेप्ड सतह ऊष्मा एक्सचेंजर द्वारा यंत्रीकृत उत्पादन, दुग्ध गंगा, अंक **6, 2016-17**, पृष्ठ **23-27**, भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.(मान्य विश्वविद्यालय)
- मडके पी. और चन्द्रा आर(**2016**) हरे चारे का वैकल्पिक स्त्रोत अजोला का उत्पादन: फल फूल **5**:**36-36**
- जिंगर एस.सी., राय ए.के., भट्टी ए.एस. तथा लवाणिया पी(**2017**) गायों में ए-**2** दूध का महत्वि, पशु संदेश, मार्च **4, 2017**(आनलाइन)
- कुमार राकेश, मीना बी.एस., सोनी, पी.जी. तथा सुब्रामणियन डी.जे.(**2016**), डेरी विकास में चरागाह घासों, वृक्षों एवं झाड़ियों का महत्व, दुग्धगंगा, **5:105-09**
- कुमकार, यू., कुमार, राकेश, राम, एच., मीना, वी.के.सिंह, एम एवं मीणा, आर.के.(**2016**) पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी कमी के लक्षण, दुग्ध गंगा **5: 77-81**
- कुमार, उत्तम, कुमार, राकेश, सिंह, मगन, राम हरदेव, मीना वी.के., राजेश कुमार, यादव, मालू राम तथा दीपा जोशी (**2017**) किसानों के लिए खेती-बाड़ी से संबंधित सामान्य एवं उपयोगी जानकारी, दुग्ध गंगा, पृष्ठ **13-20**
- कुमार, उत्तम, राम हरदेव, कुमार राकेश, मीना, वी.के., सिंह मगन, मीना, राजेश कुमार, यादव, मालू राम, कुशवाहा, मनीष तथा टमटा, आकांक्षा(**2017**), दुग्ध गंगा पृष्ठ **3-5**
- लक्ष्मी, प्रियदर्शिनी तथा अग्रवाल, ए.(**2016**) दूध जनित जूनोटिक रोग, दुग्ध गंगा **5: 24-26**
- मीणा, वी.त्रके., मीना, बुद्धि प्रकाश, कुमार, उत्तम, कुमार, राकेश सिंह, मगन, मीना, राजेश कुमार एवं राम, हरदेव(**2017**), पाले में रबी फसलों का बचाव, दुग्ध गंगा पृष्ठ **98-99**
- मिंज पी.एस., दबास जे.के.(**2017**) स्वदेशी डेरी उत्पादों के यंत्रीकृत उत्पादन के उपकरण, दुग्ध गंगा, अंक **6, 2016-17**, पृष्ठ **106-108**, भा.कृ.अनु.प.-रा.डे.अनु.सं.(मान्य विश्वविद्यालय)
- निरंजन, एस.के., ताल्लुकदार, पी. एवं मंडल, जी(**2016**) पशुओं के आहार में नमर की आवश्यकता(इम्पारटैंस आॅफ डायटरी साल्ट इन एनिमल्स), दुग्धगंगा पृष्ठ **54-56**
- राम, एच. मीना, आर.के., कुमार, राकेश सिंह, एम., कुमार, यू.यादव, एम.आर. एवं मीना वी.के.(**2016**) बेबी कार्रॅन की खेती किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तम विकल्प, दुग्ध गंगा **5:82-84** ।
- राय, ए.के.(**2016**) 'डेरी गाय प्रजनन पर गर्मी का दुष्प्रभाव' खेती **69(2):18-19**
- राय, ए.के.(**2016**), पशुओं से उत्सर्जित ग्रीन हाउस कैस कैसे कम करें, विज्ञान प्रगति, **64(6)**:**23-26**
- राय, ए.के.(**2016**), यूरिया उपचार विधि से भूसे की गुणवत्ता बढ़ाएं। किसान धरती धन, **1(4)**: **21-22**
- राय, ए.के.(**2017**) गायों की दुग्ध अवस्था बढ़ायें। मैक, कृषि जागरण **22**:**66-68.**
- राय, ए.के. एवं सिंह एम, **2016**, 'पशु स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें'

❖ राय, ए.के. एवं सिंह, एम(**2016)** पशुओं के लिए स्वादिष्ट साइलेज कैसे तैयार करें घ् किसान धरती धन **2(5):34-36** खेती, **69(4)**:**25-28** ।
❖ शिवानी, स्वाति, गुप्ता, रीतिका, दत्त, चन्द्र, सिंह, दिग्विजय तथा मिश्रा आकाश(**2017)** पशुओं में बाह्य परजीवियों से बचाव एवं प्रबन्धन। दुग्ध गंगा **6: 85-87** ।
❖ सिंह, मगन, कुमार, उत्तम, मीना, राजेश कुमार, काला, सुमी, मीना, बी.के., कुमार उत्तम तथा द्विवेदी, शशांक(**2016-17)** साइलेज बनाए जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों की सस्य क्रियाएं। दुग्ध गंगा पृष्ठ: **48-49**
❖ सिंह, मगन, मीना, वी.के.., मीना, राजेश कुमार, काला, सुमी, कुमार, राकेश एवं जोशी, दीपा(**2016)** जलःउत्पादकता एवं उपयोगिता, गेहँ एवं जौं स्वर्णिमा, आठवां अंक-**2016**, पृष्ठ: **116-117** । सोनी, पी.जी., यादव, टी, मकराना जी, कुमार, एस, टमश, ए. एवं कुमार, राकेश(**2016)** चोर वाली फसलों में पाए जाने वाले गुणवत्तारोधी घटक। दुग्ध गंगा **5**:**59-60**
❖ यादव, मालू राम, मीना, राजेश कुमार, राज, हरदेव, कुमार, राकेश एवं सिंह, मगन(**2017)** फसलों में पोषक तत्व एवं उर्वरक प्रबंधन । दुग्ध गंगा, पृष्ठ **100-102**
❖ यादव, एम.आर., कुमार, राकेश, राम, एच, परिहार, सी.एम., गोस्वामी, ए.के. तथा पूनिया, वी.(**2016)**समन्वित कृषि प्रणाली प्रणाली-सीमान्त कृषकों के लिए वरदान। खेती, **69(8) 22-27**
❖ यादव, एम.आर., कुमार, राकेश, यादव, विनोद तथा यादव, आर.एन, **2017**, भूमि संरक्षण आज की आवश्यकता, कृषि भारती **7(2): 22-24**
❖ यादव, एम.आसर., राम, एच.कुमार, राकेश, गोयल ए., यादव, टी. एवं कुमार, एम, **2016**, मृदा एवं जल परीक्षण का महत्व। दुग्ध गंगा **5:103-04** ।
❖ सुभाष चन्द, पी.एस.ओबराय, चन्दन कुमार एवं अमित कुमार(**2016)** डेरी पशुओं में जेर का रूकना एवं इसके प्रबंधन में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियाँ(हवर्स) का महत्व, लाइवस्टाक टेक्नोलाजी **6 (3): 38** ।

****

अनुबंध

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल का गौरवमयी इतिहास एवं उपलब्धियाँ

1923	संस्थान को बंग्लौर में इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट आफ एनीमल हस्बैंडरी एडं डेयरिंग के रूप में स्थापित किया गया।
1936	पुनः इम्पीरियल डेरी इन्स्टीट्यूट के नाम से नामकरण किया गया ।
1955	-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर से करनाल में स्थानांतरित -बंग्लौर संस्थान का दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र बना।
1961	बी.एससी डेयरिंग को दो भागों में अर्थात् बी.एससी. (डेरी प्रौद्योगिकी) तथा बी.एससी. (डेरी पालन) में बाँट दिया गया। करनाल में एम.एससी डेयरिंग पाठयक्रम प्रारंभ किए गए।
1962	पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, बम्बई पर स्थापित किया गया।
1964	पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कल्याणी (प.बंगाल) में स्थापित किया गया।
1966	संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन किया गया।
1975	व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना प्रारंभ।
1976	रा.डे.अनु.सं, करनाल में मानव पोषण एवं आहार विभाग संस्थापित किया गया।
1979	करनाल में डेरी अभियांत्रिकी में एम.एससी, पीएच.डी. पाठयक्रम प्रारंभ किए गए।
1983	आई.डी.डी. (डेरी पालन) बंगलौर में प्रारंभ किया गया।
1985	'फार्म परामर्श ब्यूरो' तथा औद्योगिक परामर्श केन्द्र' प्रारंभ किया गया। संस्थान को पशु

	जैवप्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ केन्द्र के रूप में पहचान मिली।
1987	भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र संस्थापित।
1989	संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी में एम.एससी. प्रारंभ।
1990	विश्व के पहले आई.वी.एफ. कटड़े 'प्रथम' का जन्म।
1991	-20 बिस्तर वाला स्वास्थ्य परिसर चालू किया गया। -राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन.ए.आर.पी) को विश्व बैंक द्वारा फंडिंग किया गया।
1994	संस्थान को डेरी प्रौद्योगिकी तथा डेरी पशु प्रजनन में उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में पहचान मिली।
1995	संस्थान को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.13-5/95-रा.भा. दि. 10.3.1995 के तहत राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र(गजट) में अधिसूचित किया गया है।
1996	-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर में एक द्विवर्षीय राष्ट्रीय डेरी डिप्लोमा (एन.डी.डी.) पाठ्यक्रम प्रारंभ - राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केन्द्र को (वर्ष 1993-94) का भाकृअनुप सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार से नवाजा गया।
1997	-एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 950 लोगों की क्षमता वाला तथा 2 सम्मेलन कक्ष एवं 2 बैठक कक्षों वाला ऑडिटोरियम चालू किया गया। -एक 60,000 लीटर प्रतिदिन की दुग्ध क्षमता वाला व्यावसायिक माडल डेरी प्लांट राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, मानित विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा संस्थान एवं उद्योगों के बीच पारस्परिक समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया।
1998	संस्थान छात्रावासों के समक्ष 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक कैफीटेरिया निर्मित किया गया।
1999	एन.ए.टी.पी की नौं परियोजनाएं 266.25 लाख रूपये की वित्तीय व्यय से प्रारंभ की गई।
2000	-संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े संस्थानों के वर्ग में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए दूसरी बार श्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार प्राप्त हुआ। -दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर में 'कामधेनु' नामक दो कमरों का एक अतिथि गृह निर्मित किया गया। -संस्थान की प्लैटिनम जयंती 8 अप्रैल 2000 को दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर में मनाया गया। -संस्थान की वेबसाइट का दि. 23.12.2000 को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा उद्‌घाटन किया गया
2001	रा.डे.अनु.संस्थान, करनाल पर एनएटीपी परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2001 को कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक) की नींव रखी गई।
2002	संस्थान में आधुनिक सर्व-सुविधा सुसज्जित अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का निर्माण किया गया। -गोपशुओं को खिलाए जाने वाले आहार की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने में सहायता हेतु आहार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला बनाई गई।
2003	पशुशाला में अत्याधुनिक दुग्ध दोहन पार्लर प्रणाली की शुरूआत की गई।
2004	-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में आई.बी.एफ प्रौद्योगिकी से बकरी का पहला मेमना उत्पन्न। -राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक)संस्थापित।
2006	-नया पशु जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र चालू। -राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान को ''भैंस उत्पादन तथा प्रजनन जीनोमिक्स''के लिए ''निके एरिया ऑफ एक्सिलेंस प्रोजेक्ट'' का अवार्ड प्राप्त हुआ।
2007	वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रयोगशाला तथा मिनी आडिटोरियम का निर्माण।
2009	-विश्व का पहला क्लोन्ड तथा दूसरा क्लोन्डकटड़ी 'गरिमा' रा.डे.अनु.सं में हैंड-गाइडिड क्लोनिंग तकनीक से उत्पन्न। -डी.सी.टी. सहायता प्राप्त टैक्नोलोजी बिजनस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई)सुविधा प्रारंभ। -बी.टैक डेरी प्रौद्योगिकी, मास्टरस तथा डाक्टरल कार्यक्रमों में नए शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ। -परीक्षा प्रणाली में सुधार, ग्रेडिगं प्रणाली तथा पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रारंभ।
2010	भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा.ए.पी.जे अब्दुल कलाम की उपस्थिति में रा.डे.अनु.सं., मान्य विश्वविद्यालय का आठवां दीक्षांत समारोह संपन्न।

2011	-रा.डे.अनु.सं, करनाल में चारा उत्पादन में एम.एससी पाठ्यक्रम प्रारंभ। -रा.डे.अनु.सं, करनाल में डेरी विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी चालू। -रा.डे.अनु.सं, को डेरी उत्पादन तथा डेरी प्रसंस्करण विषयों में उन्नत संकाय प्रशिक्षण केन्द्र (सी.ए.एफ.टी)के रूप में मान्यता प्राप्त।
2011-12	संस्थान को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग नई दिल्ली द्वारा करनाल नगर में स्थित केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों, संस्थानों, उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निगमों एवं लिमिटेडों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षीय कार्यालय के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।
2012	-ओवम पिकअप (ओ.पी.यू.-आई.वी.एफ.) तकनीक द्वारा 7.3.2012 को साहीवाल बछड़ी 'होली' उत्पन्न। -रा.डे.अनु.सं, करनाल पर दुग्ध गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर रैफरल प्रयोगशाला। -रा.डे.अनु.सं, करनाल पर व्यावसाय, नियोजन एवं विकास (बी.पी.डी.) यूनिट संस्थापित।
2013	-एक क्लोन्ड भैंस से 'महिमा' नामक प्रथम कटड़ी दिनांक 25 जनवरी, 2013 को उत्पन्न। -एक क्लोन्ड कटड़ा 'स्वर्ण' दिनांक 18 मार्च 2013 को उत्पन्न। प्रयुक्त दाता सोमेटिक कोशिका एक श्रेष्ठ सांड के वीर्य प्लाज़्मा से वियोजित की गई थी। -डेरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलैर में प्रारंभ हुआ।
2014	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान को सरदार पटेल सर्वश्रेष्ठ भा.कृ.अनु.संस्थान पुरस्कार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से प्राप्त हुआ। -एक क्लोन्ड कटड़ी 'लालिमा' का जन्म 2 मई 2014 को हुआ। -एक क्लोन्ड कटड़ा 'रजत' का जन्म। -रा.डे.अनु.सं. में पहले जन्मी 'गरिमा' नामक क्लोन्डभैंस से 'करिश्मा' नामक दूसरी कटड़ी का जन्म। -रा.डे.अनु.सं में एक नई शैक्षणिक पहल ' कृषक फार्म स्कूल' गोरगढ़ गांव, करनाल में प्रारंभ हुई। -रा.डे.अनु.सं. को आई एस ओ 9001:2008 सर्टिफिकेशन दर्जा हासिल हुआ। -संस्थान के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकलापों को करने के लिए एम.आई.एस./एफ.एम.एस. कार्यान्वित किया। -रा.डे.अनु.सं. करनाल पर एम.वी.एससी तथा पीएच.डी (एग्रो) उपाधि कार्यक्रम प्रारंभ।
2015	-सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक मुर्राह भैंस 'करन कीर्ति' से दिनांक 1 अगस्त 2015 को 'स्वरूपा' नामक क्लोन्ड कटड़ी उत्पन्न। -रा.डे.अनु.सं. करनाल में एम.एससी. (खाद्य विज्ञान एवं पोषण) की उपाधि पाठ्यक्रम प्रारंभ।
2016	संस्थान के 2 सर्विस केन्द्र लालूखेड़ी, मुज्जफरनगर (उ.प्र.) तथा पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारन (बिहार) में स्थापित।
2017	-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कल्याणी में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित। -भाकृअनुप- रा.डे.अनु.सं. करनाल को ''देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान का विश्वविद्यालय'' के सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ।

''संस्थान को अपने सरकारी कामकाज के साथ-साथ अनुसंधान के क्षेत्र में राजभाषा को अपनाने पर गर्व है। '';